

Email 28/09/2016

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)

फैक्स न०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-40(स0अनु)/आ0प्र0 पटना, दिनांक 16.05.16 द्वारा 45.00 लाख पत्रांक-89(स0अनु)/आ0प्र0 पटना, दिनांक 22.08.2016 द्वारा 800.00 लाख, पत्रांक-103 (स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 द्वारा 1500.00 लाख कुल 2845.00 (दो हजार आठ सौ पैतालीस) लाख रुपये का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-एन2245021010002 मद में प्राप्त हुआ। इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-843/आ0प्र0, दिनांक 18.08.2016, आदेश ज्ञापांक:-940/आ0प्र0, दिनांक-28.08.16, आदेश ज्ञापांक-965/आ0प्र0, दिनांक 30.08.2016, आदेश ज्ञापांक-988/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1016/आ0प्र0, दिनांक 06.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1051/आ0प्र0, दिनांक 11.09.2016, आदेश ज्ञापांक-1062/आ0प्र0, दिनांक 14.09.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1084/आ0प्र0, दिनांक 17.09.2016 एवं आदेश ज्ञापांक-1091/आ0प्र0, दिनांक-19.09.16 द्वारा कुल 283700000.00 (अठ्ठाईस करोड़ सैतीस लाख) रुपये संबंधित अंचलों को उपावंटित किया जा चुका है।

उक्त मद में संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-124 दिनांक-19.09.16 द्वारा 50000000.00 (पाँच करोड़) रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है एवं जिला में सुरक्षित राशि मो0-800000.00 आठ लाख रुपये कुल 50800000.00 (पाँच करोड़ आठ लाख रुपये) संबंधित बाढ़ प्रभावित अंचलों के पीड़ित परिवारों को भुगतान हेतु निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लघु शीर्ष-101 आनुग्रहिक राहत
मांग संख्या-39

उपशीर्ष-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति
यूनिट कोड-31 06-सहायक अनुदान
वेतनादि के अलावा

क्र०	उपावंटित पदाधिकारी का नाम	2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड-एन2245021010002 विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा		
		पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल योग
1	2	3	4	5
1	अंचलाधिकारी, दानापुर	30000000.00	--	30000000.00
2	अंचलाधिकारी, मनेर	42250000.00	10000000.00	52250000.00
3	अंचलाधिकारी, पटना सदर	15000000.00	10000000.00	25000000.00
4	अंचलाधिकारी, पुनपुन	12700000.00	--	12700000.00
5	अंचलाधिकारी, फतुहॉ	15000000.00	10000000.00	25000000.00
6	अंचलाधिकारी, दनियावाँ	200000.00	--	200000.00
7	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	10700000.00	--	10700000.00
8	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	46000000.00	--	46000000.00
9	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	54000000.00	--	54000000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219116(का०)

फैक्स नं०-0612-2218900

E-mail- dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

10	अंचलाधिकारी, वेलछी	200000.00	--	200000.00
11	अंचलाधिकारी, पंडारक	200000.00	--	200000.00
12	अंचलाधिकारी, घोषवरी	200000.00	--	200000.00
13	अंचलाधिकारी, मोकामा	2000000.00	--	2000000.00
14	अंचलाधिकारी, बाढ़	6000000.00	--	6000000.00
15	अंचलाधिकारी, सम्पतचक	7500000.00	--	7500000.00
16	अंचलाधिकारी, धनरूआ	20000000.00	--	20000000.00
17	अंचलाधिकारी, नौबतपुर	3750000.00	5000000.00	8750000.00
	उपावंटित राशि	283700000.00	35000000.00	318700000.00
	जिला में सुरक्षित			15800000.00
	कुल योग			334500000.00

- (1) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत उप शीर्ष-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति विपत्र कोड- एन2245021010002 मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (2) यह आवंटन बाढ़ आपदा से प्रभावित अंचलों को बाढ़ आपदा से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार (खाद्यान्न चावल एवं गेहूँ) के एवज में नगद अनुदान हेतु निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्योपरान्त ही अतिरिक्त राशि की अधियाचना की जाय।
- (3) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आपदा प्रभावित परिवारों को देय नगद अनुदान राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक-1432/आ0प्र0, दिनांक 04.04.2016 एवं 1642/आ0प्र0, दिनांक 22.04.2016 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (6) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (7) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (8) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-02-101-0002-खाद्यान्न के आपूर्ति के अन्तर्गत

पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन न० 0612-2219116(का०)
फैक्स न०-0612-2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

- व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के उपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से "8000-आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।
- (9) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
अनुलग्नक-आवंटन पत्र की प्रति।

१०✓
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 1122/आ0प्र0 पटना, दिनांक 27.09.2016.

- प्रतिलिपि:- संबंधित अंचलाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी, दानापुर, पटना सिटी, बाढ़ एवं मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।
प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-40(स0अनु0)/आ0प्र0 पटना, दिनांक-16.05.16, पत्रांक-89(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 22.08.2016 एवं पत्रांक-103(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 02.09.2016 तथा पत्रांक-42/आ0प्र0, दिनांक 10.09.2016 एवं पत्रांक-124 दिनांक-19.09.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

१०
27/9/16
जिला पदाधिकारी,
पटना।

१०
Shyler